भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1612

30.07.2025 को उत्तर देने के लिए

महिला श्रम बल

1612. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पिछले कुछ वर्षों में घट रही है और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त गिरावट को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू या असंगठित क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में ठीक से दर्ज नहीं किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सर्वेक्षण की उक्त पद्धति में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) महिला श्रमिकों की वर्तमान में भागीदारी दर कितनी है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आंकड़ों सहित श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि या कमी का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महिला श्रमिकों को मातृत्व के बाद श्रम बाजार में किसी प्रकार की असमानता का सामना करना पड़ता है या कम मजदूरी मिलती है, जिसे मातृत्व दंड कहा जाता है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जुलाई 2019-जून 2020 से जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के बीच सामान्य स्थिति

(पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के अनुमान नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं:

तालिका (1): पीएलएफएस में ग्रामीण महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत में) अखिल भारतीय	
सर्वेक्षण वर्ष	ग्रामीण महिलाओं में सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत में)
पीएलएफएस, 2019-20	24.7
पीएलएफएस, 2020-21	27.7
पीएलएफएस, 2021-22	27.2
पीएलएफएस, 2022-23	30.5
पीएलएफएस, 2023-24	35.5

(ग): पीएलएफएस में, आर्थिक कार्यकलापों के अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्यकलाप शामिल होता है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिससे राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य में वृद्धि होती है। 'आर्थिक कार्यकलाप' शब्द में शामिल हैं:

i. ऊपर वर्णित बाज़ार के सभी कार्यकलाप जैसे, भुगतान या लाभ के लिए किए जाने वाले कार्यकलाप जिनके परिणामस्वरूप विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है,
ii. गैर-बाज़ार कार्यकलाप,

(1) प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित सभी कार्यकलाप जिनके परिणामस्वरूप प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है (जिसमें बिना खेती वाली फसलों का मुफ्त संग्रह, वानिकी, जलाऊ लकड़ी, शिकार, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन आदि शामिल हैं) जिसमें स्वयं के उपभोग के लिए अनाज की कटाई और भंडारण भी शामिल है।

और

(2) अचल संपत्तियों का स्वयं के लिए निर्माण से संबंधित कार्यकलाप । अचल संपत्तियों का स्वयं के लिए निर्माण में स्वयं के लिए आवास, सड़कें, कुएँ आदि का निर्माण, तथा घरेलू उद्यम के लिए मशीनरी, औजार आदि का निर्माण, तथा किसी भी निजी या सामुदायिक सुविधाओं का निःशुल्क निर्माण शामिल है।

(घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली में संशोधन की व्यवहार्यता वर्तमान में एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): जुलाई 2019-जून 2020 से जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान किए गए पीएलएफएस से, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण+शहरी संयुक्त रूप से महिलाओं के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार एलएफपीआर के अनुमान नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं:

तालिका (2): सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत में) अखिल भारतीय			
सर्वेक्षण वर्ष	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+ शहरी
पीएलएफएस, 2019-20	24.7	18.5	22.8
पीएलएफएस, 2020-21	27.7	18.6	25.1
पीएलएफएस, 2021-22	27.2	18.8	24.8
पीएलएफएस, 2022-23	30.5	20.2	27.8
पीएलएफएस, 2023-24	35.5	22.3	31.7

(च) और (छ): पीएलएफएस से 'मातृत्व दंड' के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या अधिक कार्मिकों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा का प्रावधान, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति आदि के प्रावधान हैं ।

महिला और बाल विकास मंत्रालय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक को लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। पालना के अंतर्गत, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच के माध्यम से बच्चों की देखभाल की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं के लिए एक सलाह" जारी किया। इस सलाह में अन्य बातों के साथ-साथ, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार-अनुकूल उपाय शामिल हैं।

केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग से कार्मिक महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने और क्रेच स्थापित करने की घोषणा की गई है।

*****